भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 837
23 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

एकीकृत शीत श्रृंखला का आकलन

837. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के 'एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना' घटक का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के शुरू होने के बाद दर्ज की गई कटाई-उपरान्त क्षति में कमी, खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि और किसानों को मिलने वाले मूल्यों में सुधार का वस्तु-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार, अनुमानित कटाई उपरान्त क्षति, मौजूदा कोल्ड स्टोरेज क्षमता, आवश्यक अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज क्षमता और मांग तथा उपलब्ध क्षमता के बीच पहचान की गई कमियों का वस्तु-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे जिलों या मूल्य श्रृंखलाओं की पहचान की है जहां शीत श्रृंखला अवसंरचना के निर्माण के बावजूद कटाई-उपरान्त क्षति अभी भी अधिक बनी हुई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं; और

(घ) इस योजना के तहत स्वीकृत, पूर्ण और चालू परियोजनाओं, स्वीकृत और जारी की गई धनराशि, सृजित भंडारण क्षमता तथा औसत क्षमता उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) एवं (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने वर्ष 2025 के दौरान एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना (शीत श्रृंखला योजना) के प्रभाव मूल्यांकन पर एक अध्ययन अकादमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, नई दिल्ली के माध्यम से करवाया है। उपरोक्त अध्ययन में बताया गया कि शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत शीत श्रृंखला परियोजनाओं के कार्यान्वयन से फसल कटाई के बाद के नुकसान में कमी आई है, देश भर में प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता में वृद्धि हुई है, और इस प्रकार किसानों को अपनी कृषि उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिल रही है।

फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान की मात्रा निर्धारित करने के लिए, मंत्रालय वार्षिक अनुमानों के बजाय समय-समय पर किए जाने वाले अध्ययनों पर भरोसा करता है। ये अध्ययन मंत्रालय द्वारा (i) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट-हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीफेट), भारतीय कृषि अनुसंधान

परिषद (आईसीएआर) — वर्ष 2015 के दौरान, संदर्भ वर्ष 2012-14 के आधार पर, तथा (ii) नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नेब्कोंस) — वर्ष 2022 के दौरान, संदर्भ वर्ष 2020-22 के आधार पर, कराए गए थे। इन अध्ययनों के अनुसार, देश में विभिन्न कृषि उपज की फसल कटाई के बाद होने वाले अनुमानित नुकसान का प्रतिशत निम्नानुसार है:

फसल/वस्तु	**अनुमानित प्रतिशत हानि**	
	आईसीएआर-सीफेट अध्ययन के अनुसार (2015)	**नेब्कोंस अध्ययन के अनुसार (2022)**
अनाज	4.65 - 5.99	3.89-5.92
दालें	6.36 - 8.41	5.65-6.74
तिलहन	3.08 - 9.96	2.87-7.51
फल	6.70-15.88	6.02-15.05
सब्जियाँ	4.58-12.44	4.87-11.61
बागान फसलें एवं मसाले	1.18-7.89	1.29-7.33
दूध	0.92	0.87
मत्स्य पालन (अंतर्देशीय)	5.23	4.86
मत्स्य पालन (समुद्री)	10.52	8.76
मांस	2.71	2.34
पॉल्ट्री	6.74	5.63
अंडे	7.19	6.03

नेब्कोंस अध्ययन (वर्ष 2022) के अनुसार प्रमुख फसलों की राज्य-वार कटाई-उपरांत हानियाँ **अनुबंध-I** में प्रदान की गई हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संकलित और उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.01.2026 तक देशभर में मौजूदा शीत भंडारण क्षमता 402.87 लाख मीट्रिक टन (एमटी) है। इस मंत्रालय द्वारा 'एकेडमी ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडीज़, नई दिल्ली' के माध्यम से 'एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना' के प्रभाव के मूल्यांकन पर वर्ष 2025 में किए गए वर्तमान अध्ययन के अनुसार, मौजूदा और ज़रूरी कोल्ड स्टोरेज सुविधा के बीच 48.03 लाख मीट्रिक टन का अंतर है।

(ग) शीत श्रृंखला योजना मांग आधार पर संचालित होती है, जिसके अंतर्गत उपलब्ध निधि के आधार पर समय-समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी की जाती हैं, ताकि देशभर के पात्र संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा सकें। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्तावों पर विचार किसी विशिष्ट जिले या मूल्य श्रृंखला का ध्यान किए बिना किया जाता है। फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान का समाधान करने के लिए, मंत्रालय ने ऐसे अध्ययन किए हैं जो आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों में फसल-वार नुकसान का अनुमान प्रस्तुत करते हैं। इन आकलनों में विभिन्न वस्तुओं के अलग-अलग चरणों पर होने वाले नुकसान, उनके प्रमुख कारणों तथा महत्वपूर्ण नुकसान बिंदुओं का विवरण दिया गया है। इन निष्कर्षों का उपयोग नीतिगत उपायों को तैयार करने और नुकसान कम करने के उद्देश्य से अवसंरचना विकास का मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। ये अध्ययन फसलों के फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान का जिला-वार अनुमान उपलब्ध नहीं कराते हैं।

(घ) दिनांक 30.06.2026 तक, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना (कोल्ड चेन योजना) घटक के अंतर्गत कुल 409 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनके लिए ₹3089.08 करोड़ की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें से ₹2540.89 करोड़ की राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है। इन स्वीकृत परियोजनाओं में से 311 परियोजनाएँ सफलतापूर्वक पूर्ण की जा चुकी हैं और परिचालन में लाई जा चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुल 9.236 लाख मीट्रिक टन की शीत भंडारण क्षमता का सृजन हुआ है। स्वीकृत, पूर्ण तथा परिचालन में लाई गई परियोजनाओं का राज्य-वार विस्तृत विवरण, स्वीकृत एवं जारी की गई निधियों तथा सृजित कुल शीत भंडारण क्षमता सहित, **अनुबंध-II** में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त विभिन्न घटकों की क्षेत्र-वार औसत क्षमता उपयोगिता का भी आकलन किया गया है; ये उपयोगिता आंकड़े मंत्रालय के वर्ष 2020 के मूल्यांकन अध्ययन - "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा समर्थित एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना के अंतर्गत कार्यान्वित इकाइयों का प्रभाव" शीर्षक से नेब्कोंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए अध्ययन से लिए गए हैं, और **अनुबंध -III** में दिए गए हैं।

अनुबंध-I

लोकसभा में 23 जुलाई, 2026 को उत्तर हेतु "एकीकृत शीत श्रृंखला का आकलन" के संबंध में उत्तर हेतु प्रश्न संख्या 837 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रमुख फसलों की राज्य-वार कटाई उपरांत हानि प्रतिशत में

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	फसलों की कटाई उपरांत हानि प्रतिशत में																
		बाजरा	केला	काला चना	काजू	चना	मिर्च	साइट्रस	नारियल	कपास	अंडा	मूंग	मूंगफली	अंतर्देशीय मछली	मक्का	आम	समुद्री मछली	सुपारी
1.	आंध्र प्रदेश	5.07	9.33	5.56	4.82	5.71	7.06	7.97	4.32	3.03	5.47	6.17	6.58	4.68	5.98	7.90	8.50	
2.	असम										6.05							
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह								4.25									6.44
4.	बिहार											6.06			5.83	10.10		
5.	छत्तीसगढ़																	
6.	गुजरात	4.41	7.59	4.8						2.93		5.85	5.31		5.18			
7.	हरियाणा	3.77				5.66				2.55	6.74							
8.	हिमाचल प्रदेश														2.27			
9.	झारखंड																	
10	जम्मू और कश्मीर										6.08				3.92			
11	केरल				3.07				3.61		5.53						8.75	4.01
12	कर्नाटक	5.03			3.17				3.78		5.64				4.41		8.97	4.15
13	मध्य प्रदेश	4.53		6.73		5.85	6.29	7.4			6.33		6.11		6.3			
14	महाराष्ट्र	4.21	6.06	7.48		5.4		8.79		2.98	5.55	5.9	6.16		5.3	8.61	8.8	
15	मेघालय				4.53													
16	नागालैंड																	
17	ओडिशा					6.09					6.63	6.11		5.68			9.89	
18	पंजाब							5.4							6.91			
19	राजस्थान	5.03		5.74		5.83				2.53		6.21	5.03		5.81			
20	तमिलनाडु		7.47	5.93							6.6		5.31		4.39		9.14	
21	तेलंगाना						6.06	7.73		3.04	5.36	6.24	6.67		6.51			
22	उत्तराखंड																	
23	उत्तर प्रदेश	4.11		6.11							6.06				5.77			
24	पश्चिम बंगाल										7.07	6.24	7.24	3.79	5.42		8.94	

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	फसलों की कटाई उपरांत हानि प्रतिशत में														
		दूध	खरबूज	धान	पपीता	अनार	पॉल्ट्री मीट	ज्वार	साबूदाना	टमाटर	हल्दी	पत्तागोभी	मांस	मशरूम	अनानास	मूली
1	आंध्र प्रदेश	0.58	7.42	5.73	6.58	8.69	7.39	5.67	-	12.36	4.97	-				
2	असम			6.07			6.61					7.38	3.44	4.48	7.11	5.14
3	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह															
4	बिहार			4.65								8.7			5.89	5.11
5	छत्तीसगढ़			3.92												6.66
6	गुजरात	0.5		4.54	5.81					10.97		8.39				
7	हरियाणा	0.74					4.63						2.88	5.91		7.51
8	हिमाचल प्रदेश													6.01		
9	झारखंड				6.73											
10	जम्मू और कश्मीर															
11	केरल						5.32		4.8				2.2			
12	कर्नाटक					8.19				9.97	4.63				3.73	
13	मध्य प्रदेश	0.53	5.76	4.20						11.85						
14	महाराष्ट्र	0.65		4.44		6.02	4.78						2.78	9.24		
15	मेघालय								4.99		5.64					
16	नागालैंड								5.42							
17	ओडिशा			4.17						13.19		8.08		13.64		
18	पंजाब	0.63	5.48	3.15										6.7		
19	राजस्थान	1.35														
20	तमिलनाडु			5.98			6.08						3.04	11.03		
21	तेलंगाना						8.12						1.61			
22	उत्तराखंड	1.16		2.87												
23	उत्तर प्रदेश	1.12	7.25	4.00			7.24						2.8	2.74		
24	पश्चिम बंगाल	1.09		5.14			5.41					8.71	2.41		5.66	6.45

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	फसलों की कटाई उपरांत हानि प्रतिशत में														
		कद्दू	बैंगन	फूलगोभी	अमरूद	अंतर्देशीय मछली	भिंडी	आलू	गन्ना	सूरजमुखी	चीकू	प्याज	सरसों	गेंहू	बीन्स	अरहर
1	आंध्र प्रदेश															
2	असम															
3	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह															
4	बिहार	7.35	7.52	6.76	15.36	5.99	6.27	6.11	8.99	5.18						
5	छत्तीसगढ	6.77			13.79											
6	गुजरात		6.99	7.99			5.79	5.18			7.47	7.57	4.38	5.18	6.65	4.27
7	हरियाणा								6.34	4.44			4.52	4.37		
8	हिमाचल प्रदेश													3.32		
9	झारखंड															
10	जम्मू एवं कश्मीर															
11	केरल															
12	कर्नाटक					4.82			4.84	4.22		8.70			7.33	4.57
13	मध्य प्रदेश	7.46		6.46	14.93		5.84	7.00				8.11	4.86	4.94		6.43
14	महाराष्ट्र								8.61	4.93		6.78				6.90
15	मेघालय															
16	नागालैंड															
17	ओडिशा	7.57	7.30	7.65			6.25									
18	पंजाब							5.57	4.38					4.55		
19	राजस्थान												4.75	6.25		
20	तमिलनाडु								8.65						7.82	
21	तेलंगाना															5.01
22	उत्तराखंड								5.46					2.51		
23	उत्तर प्रदेश	6.43				4.99		5.82	6.91				5.97	6.36		
24	पश्चिम बंगाल		7.85	7.26	15.86		6.05	5.71		5.21			6.21	6.13	5.48	

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	फसलों की कटाई उपरांत हानि प्रतिशत में								
		सेब	शिमला मिर्च	हरा मटर	काली मिर्च	अंगूर	सूरजमुखी	ज्वार	सोयाबीन	धनिया
1	आंध्र प्रदेश									
2	असम									
3	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह									
4	बिहार									
5	छत्तीसगढ									
6	गुजरात									
7	हरियाणा									
8	हिमाचल प्रदेश	9.20	5.74	6.35						
9	झारखंड									
10	जम्मू एवं कश्मीर	9.51								
11	केरल				1.26					
12	कर्नाटक		5.75		1.31	8.02	3.10	5.69	6.63	
13	मध्य प्रदेश		4.33	6.27				6.76	7.36	6.01
14	महाराष्ट्र					6.73	3.02	6.16	8.84	
15	मेघालय									
16	नागालैंड									
17	ओडिशा									
18	पंजाब		4.31	6.67						
19	राजस्थान							6.01	6.54	5.70
20	तमिलनाडु							6.29		
21	तेलंगाना									
22	उत्तराखंड	11.50								
23	उत्तर प्रदेश			6.34						
24	पश्चिम बंगाल									

अनुबंध-II

लोकसभा में 23 जुलाई, 2026 को "एकीकृत शीत श्रृंखला का आकलन" के संबंध में उत्तर हेतु प्रश्न संख्या 837 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-II

स्वीकृत, पूर्ण और परिचालित परियोजनाओं, स्वीकृत अनुदान-सहायता, पूर्ण परियोजनाओं से जारी की गई अनुदान-सहायता और सृजित कुल शीत भंडारण क्षमता का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण/प्रचालनरत परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित जीआईए (करोड़ ₹ में)	जारी जीआईए (करोड़ ₹ में)	पूर्ण परियोजनाओं से सृजित कुल शीत भंडारण क्षमता (लाख एमटी)
1	अंडमान और निकोबार	1	1	2.81	2.81	0.00600
2	आंध्र प्रदेश	37	25	313.67	245.82	0.45614
3	अरुणाचल प्रदेश	2	1	15.59	6.46	0.01000
4	असम	2	2	17.37	17.37	0.081
5	बिहार	5	3	39.85	34.86	0.366
6	चंडीगढ़	0	0	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	4	2	30.41	11.52	0.085
8	दादरा और नगर हवेली और दीव और दमन	0	0	0.00	0.00	0.00
9	दिल्ली	0	0	0.00	0.00	0.00
10	गोवा	0	0	0.00	0.00	0.00
11	गुजरात	29	25	233.27	203.77	0.568
12	हरियाणा	23	18	174.00	147.67	0.547
13	हिमाचल प्रदेश	16	14	138.10	130.92	0.35
14	जम्मू और कश्मीर	7	5	52.83	32.83	0.053
15	झारखंड	0	0	0.00	0.00	0.00
16	कर्नाटक	20	14	147.37	101.39	0.288
17	केरल	8	4	56.96	24.31	0.411
18	लद्दाख	0	0	0.00	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	0	0	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	11	9	83.03	71.20	0.221
21	महाराष्ट्र	77	59	543.37	458.30	1.768
22	मणिपुर	1	1	9.96	9.96	0.029
23	मेघालय	0	0	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	2	2	12.77	12.77	0.005
25	नागालैंड	2	1	12.48	8.39	0.010
26	ओडिशा	9	5	71.38	52.05	0.11886
27	पुदुच्चेरी	0	0	0.00	0.00	0.00
28	पंजाब	25	21	157.03	138.40	0.566
29	राजस्थान	14	13	83.42	81.00	0.435
30	सिक्किम	0	0	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	26	15	187.02	119.72	0.349
32	तेलंगाना	15	11	113.03	93.54	0.188
33	त्रिपुरा	0	0	0.00	0.00	0.00
34	उत्तर प्रदेश	26	21	207.21	190.54	0.627
35	उत्तराखंड	30	27	275.10	265.64	1.009
36	पश्चिम बंगाल	17	12	111.05	79.65	0.689
	कुल	**409**	**311**	**3089.08**	**2540.89**	**9.236**

अनुबंध-III

लोकसभा में 23 जुलाई, 2026 को " एकीकृत शीत श्रृंखला का आकलन" के संबंध में उत्तर हेतु प्रश्न संख्या 837 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-III

शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की क्षेत्र-वार/घटक-वार क्षमता उपयोग

क्षेत्र	शीत श्रृंखला परियोजनाओं में सहायता प्राप्त घटकों का औसत प्रतिशत क्षमता उपयोग					
	एकल चक्र घटक					
	आईक्यूएफ	प्लेट फ्रीजर	ब्लास्ट फ्रीजर	प्राथमिक प्रसंस्करण	सॉर्टिंग ग्रेडिंग लाइन	पेकेजिंग लाइन
डेयरी	2	-	78	4	-	89
मत्स्य पालन	58	26	14	27	-	59
फल और सब्जी	26	20	-	68	39	12
मांस	41	49	56	23	-	-

क्षेत्र	बहु-चक्र घटक			
	शीत भंडारण/सीए	रीफ़र वेंस/इंसुलेटेड वेंस	डीप फ्रीजर	प्रीकूलिंग यूनिटस
डेयरी	42	78	15	-
मत्स्य पालन	61	7	1	-
फल और सब्जी	33	19	14	33
मांस	13	-	68	45
